

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 30

दिनांक:- 2-5-18

:: निर्णय / डिक्री ::

श्री गौरीशंकर, राजेन्द्र, हरिप्रकाश, सुन्दरलाल, आशा, पिता देवचन्द हाकेर बेवा देवचन्द मीणा ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत केम्प हिराता में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। खातेदारों द्वारा ग्राम बन्दडा की सम्पत् 2071-74 की प्रमाणित प्रति बटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्से को पृथक-2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारे की अनुशंषा की गई।

ग्राम बन्दडा पटवार हल्का हिराता की जमाबंदी संवत् 2071-74 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 73 नई तथा 114 पुरानी खसरा नं० 3009 योग किता 01 योग रकबा 19 बिस्वा में श्री श्री गौरीशंकर, राजेन्द्र, हरिप्रकाश, सुन्दरलाल, आशा, पिता देवचन्द हाकेर बेवा देवचन्द मीणा मीणा सहखातेदार है। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम बन्दडा के खाता संख्या 73 नई तथा 114 पुरानी खसरा नं० 3009 योग किता एक योग रकबा 19 बिस्वा का सहखातेदारों के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय/डिक्री की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद की कार्यवाही करे। बटवार स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

  
SPO